

जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10.09.2021

आज दिनांक 27.08.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा० कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**05 राशि गोवंशीय पशु, 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस (.315 बोरा) के साथ
02 गोतस्कर गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर **डॉ० कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धनघटा **श्री अनिल कुमार दुबे** के नेतृत्व में गठित टीम उ०नि० **श्री विवेकानंद तिवारी** प्रभारी चौकी लोहरैया द्वारा आज दिनांक 10.08.2021 को चौकी क्षेत्र अन्तर्गत पिडिया पुल के पास 02 अभियुक्तगण 1- सोनू पुत्र कासिम निवासी लक्ष्मीपुर बुजुर्ग थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर 2- किमायत पुत्र नियाज निवासी कपड़िया थाना घोसी जनपद मऊ को पिकअप पर लदे 05 राशि गोवंशीय पशु (गाय व बछड़े), तथा अभियुक्त सोनू के पास से 01 अदद अवैध तमंचा (.315 बोर) व 01 अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर) के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु०अ०सं० 446 / 21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा अभियुक्त सोनू के पास से बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 447 / 21 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय स्वाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1- सोनू पुत्र कासिम निवासी लक्ष्मीपुर बुजुर्ग थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 2- किमायत पुत्र नियाज निवासी कपड़िया थाना घोसी जनपद मऊ ।

बरामदगी का विवरण-

- 01- 05 राशि गोवंशीय पशु (गाय व बछड़ा) ।
- 02- 01 अदद अवैध तमंचा (.315 बोर) ।
- 03- 01 अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर) ।
- 04- 01 अदद पिकअप (रजिस्ट्रेशन नंबर BR 29 GA 4845)

घटना व बरामदगी के संबन्ध में पंजीकृत अभियोग-

- 01- मु०अ०सं० 446 / 21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम ।
- 02- मु०अ०सं० 447 / 21 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम सोनू ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

उ०नि० श्री विवेकानंद तिवारी प्रभारी चौकी लोहरैया, उ०नि० श्री महेश्वरी सिंह, हे०का० जगदम्बा पाठक, का० शनि यादव, का० शिवदास, का० संतोष ।

गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौरस्तुभ के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री रामप्रकाश के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अनिल कुमार दुबे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 10.08.2021 को मु0अ0सं0 427 / 2021 धारा 304 / 323 / 504 / 308 / 147 / 325 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1 – अब्दुल शमद पुत्र मो0 इस्माइल 2 – हमीदुर्रहमान पुत्र मुस्ताक अमहद 3 – जियाउल रहमान पुत्र मैनुद्दीन निवासीगण गोविन्द गंज, चंदौली माफी थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1- अब्दुल शमद पुत्र मो0 इस्माइल निवासी गोविन्द गंज, चंदौली माफी, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर ।
- 2- हमीदुर्रहमान पुत्र मुस्ताक अमहद निवासी गोविन्द गंज, चंदौली माफी, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर ।
- 3- जियाउल रहमान पुत्र मैनुद्दीन निवासी गोविन्द गंज, चंदौली माफी, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर ।

पंजीकृत अभियोग –

- 1- मु0अ0सं0 427 / 2021 धारा 304 / 323 / 504 / 308 / 147 / 325 भादवि ।

विवरण:- उल्लेखनीय है कि थाना धनघटा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम गोविन्दगंज, चन्दौली माफी में वादी श्री मजीबुर्रहमान द्वारा दिनांक 27.08.2021 को सूचना दिया गया कि उसी गांव के अभियुक्तगणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास में मिले पैसों को लेकर प्रतिवादी द्वारा एकराय गोलबंद होकर मेरे साले को मारपीट कर घायल कर दिया गया था जिनकी निजी अस्पताल में दवा इलाज के दौरान दिनांक 09.08.2021 को मृत्यु हो गयी । घटना के संबंध में थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 धारा 304 / 323 / 504 / 308 / 147 / 325 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी लोहरैया उ0नि0 श्री विवेकानंद तिवारी, हे0का0 रामसूरत, कां0 उदय प्रसाद कां0 सुशांत शर्मा ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 20 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदाव पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 द्वारा लावारिश महिला को परिजनों को किया गया सुपुर्द – पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत खलीलाबाद से इवेन्ट संख्या 12940 से कालर एक लावरिश महिला के समबन्ध में सूचना दिया सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों की मदद से उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया तथा कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से महिला को उसके परिजनों को सुपुर्द कर उसके साथ किसी भी अप्रिय घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 विद्यानन्द यादव, म0आ0 रेनु पाल, हो0चा0 रविन्द्र यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 91 वाहनो से 73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.08.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 91 वाहनो से 73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।